

क्रमांक: प.11(1)साप्र/5/2018

जयपुर, दिनांक: 05 MAY 2022

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.6(5)साप्र/5/93 दिनांक 24.07.2002 के क्रम में राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में कार्यरत निम्नांकित संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति निम्नांकित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा की जावेगी:-

क्र. सं.	संवर्ग	प्रतिवेदन अधिकारी	समीक्षा अधिकारी
1	महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक/ वरिष्ठ प्रबन्धक एवं प्रबन्धक राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवन (विश्राम भवन, जयपुर के अतिरिक्त)	संबंधित जिला कलक्टर	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
2	महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक/ वरिष्ठ प्रबन्धक एवं प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर एवं ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।	विशिष्ट शासन सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
3	महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक/ वरिष्ठ प्रबन्धक एवं प्रबन्धक राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली	प्रमुख आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, नई दिल्ली।	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
4	महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक/ वरिष्ठ प्रबन्धक एवं प्रबन्धक राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुंबई	विशिष्ट शासन सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5	सहायक प्रबन्धक/हाउसकीपर एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक	संबंधित महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक	विशिष्ट शासन सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

नोट:-उपरोक्त आदेश के क्रम संख्या 3 पर वर्णित महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षा अधिकारी की पूर्ति इस प्रकार की जावेगी कि प्रमुख आवासीय आयुक्त/शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थापित अधिकारियों में जो अधिकारी कनिष्ठ होंगे, वह प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति दर्ज करेंगे तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में समीक्षा अधिकारी की अभ्युक्ति दर्ज की जावेगी।



(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
6. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
7. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, राजस्थान भवन, वाशी नवी मुंबई/ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव